No.Per. (AR)A(3)-1/2008-I Government of Himachal Pradesh Administrative Reforms Organization

From

The Principal Secretary (AR) to the Government of Himachal Pradesh.

To

All the Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh.

Dated Shimla-2, the September, 2008.

Subject:-

Clarification regarding format in which the 'information' should be supplied under the RTI Act, 2005.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of letter No. 11/2/2008-IR dated 10th July, 2008, received from Sh. K.G.Verma, Director, Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnal & Training, New Delhi on the subject cited above and to say that the instructions contained in this letter may kindly be adhered to meticulously.

These instructions may kindly be brought to the notice of all concerned working under your kind control.

Encls: As above

Yours faithfully,

Deputy Secretary (AR) to the Govt. of Himachal Pradesh.

P-ream, AISI-12-9

हिन्द्रः स्थितास्य श्वासित्रं स्था संगठम दीनकी संस्था दिल्ह 25.067 क्रांक 27.08.408.

O/o the Chief Secretary
Dy. No. 508988.6
Dated ... 2947/6

No.11/2/2008-IR Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi Dated: the 10th July, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Clarification regarding format in which the 'information' should be supplied under the RTI Act, 2005.

It has been observed that some people under the Right to Information Act, 2005 request the Public Information Officers (PIO) to cull out information from some document(s) and give such extracted information to them. In some Scases, the applicants expect the PIO to give information in some particular proforma devised by them on the plea that sub-section (9) of Section 7 provides that an information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought. It need be noted that the sub-section simply means that if the information is sought in the form of photocopy, it shall be provided in that form subject to the conditions given in the Act etc. It does not mean that the PIO shall re-shape the information.

According to section 2(f) of the Act 'information' means 'any material in 2. any form'. A citizen, under the Act, has a right to get 'material' from a public authority which is held by or under the control of that public authority. The right includes inspection of work, documents, records; taking notes, extracts or certified copies of documents or records; taking certified samples of material; taking information in the form of diskettes, floppies, tapes video cassettes or in any other electronic mode or through printouts where such information is stored in a computer or in any other device. Careful reading of the definition of 'information' and 'right to information' makes it clear that a citizen has a right to get the material, inspect the material, take notes from the material, take extracts or certified copies of the material, take samples of the material, take the material in the form of diskettes etc. The PIO is required to supply such material to the citizen who seeks it. The Act, however, does not require the Public Information Officer to deduce some conclusion from the 'material' and supply the 'conclusion' so deduced to the applicant. The PIO is required to

26/8

S. DRS!

supply the 'material' in the form as held by the public authority and is not required to do research on behalf of the citizen to deduce anything from the material and then supply it to him.

3. Contents of this OM may be brought to the notice of all concerned.

Ban

(K.G. Verma) Director

1. All the Ministries / Departments of the Government of India

- 2. Union Public Service Commission/ Lok Sabha Sectt./ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission/Election Commission.
- 3. Central Information Commission/State Information Commissions.

4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi

- 5. O/o the Comptroller&Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
- 6. All officers / Desks / Sections, DOP&T and Department of Pension and Pensioners Welfare.

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs.

सं. 11/2/2008-आईआर भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक: 10 जुलाई, 2008.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 'सूचना' के स्वरूप के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

यह देखा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कुछ लोग लोक सूचना अधिकारियों से किसी दस्तावेज में से जानकारी ढूँढ कर उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हैं । कुछ मामलों में, आवेदक लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षा करते हैं कि उन्हें सूचना उनके द्वारा तैयार किए गए किसी विशेष प्रपत्र में दी जाए । ऐसी मांग को वे धारा 7 की उपधारा (9), जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि जानकारी सामान्यत: उस रूप में दी जाएगी जिस रूप में मांगी गई है, के आधार पर अपना अधिकार मानते हैं । यह नोट करना आवश्यक है कि उक्त प्रावधान का मतलब सिर्फ इतना भर है कि यदि जानकारी छायाप्रति के रूप में मांगी गई है तो यह छाया प्रति के रूप में मुहैया कराई जाए और यदि यह फ्लॉपी के रूप में मांगी जाती है तो अधिनियम में दी गई शर्तों के अधीन इसे फ्लॉपी के रूप में मुहैया कराया जाए इत्यादि । इसका अर्थ यह नहीं है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना को नया रूप प्रदान कर उसे आवेदक को मुहैया कराएगा ।

2. अधिनियम की धारा 2(च) के अनुसार 'सूचना' का अर्थ 'किसी भी रूप में कोई भी सामग्री' है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत नागरिक को लोक प्राधिकरण से ऐसी 'सामग्री' प्राप्त करने का अधिकार है जो उस लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन है। इस अधिकार में शामिल हैं – कार्य दस्तावेजों, अभिलेखों की जांच; नोट, उद्धरण अथवा दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां लेना; सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना; डिस्केट,

... 2/- ...

फलॉपी, टेप, वीडियो कैसेट अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड अथवा प्रिंट अगुउट के रूप में जानकारी लेना बशर्त कि वह जानकारी कम्प्यूटर अथवा किसी अन्य यंत्र में संग्रहीत हो । 'सूचना' और 'सूचना का अधिकार' की परिभाषा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि नागरिक को सामग्री प्राप्त करने, सामग्री का निरीक्षण करने, सामग्री से नोट लेने, सामग्री का उद्धरण अथवा प्रमाणित प्रतियां लेने, सामग्री के नमूने लेने, डिस्केट इत्यादि के रूप में सामग्री लेने का अधिकार है । लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को ऐसी सामग्री भेजे जिसके लिए उसने अनुरोध किया हो । अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वह 'सामग्री' से कोई निष्कर्ष निकाले और इस प्रकार निकाले गए 'निष्कर्ष' को आवेदक को भेजे । लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को 'सामग्री' उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है । सामग्री में से कुछ तथ्यों की खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है।

3. इस कार्यालय जापन की विषयवस्तु सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कार्यालयों के ध्यान में लाई जाए ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)

निदेशक

- 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
- 2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/निर्वाचन आयोग ।
- 3. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।
- 4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली ।
- 5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुरशाह जफर 🕏 मार्ग, नई दिल्ली ।
- 6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।

प्रति: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।